मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-9

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 19 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 28, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये तथा द्वितीय चक्र में 1 प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 71 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(माननीय मुख्यमंत्री, सुश्री उमा भारती की व्यस्तता के कारण आज मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल नही हो सका)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने मैहर विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का बरसात में सड़क संपर्क टूट जाने,

(2) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य ने रीवा जिला स्थित गुढ़ थाना क्षेत्र के एम.एस.सी. प्रकरणों की जांच गांधी चिकित्सालय रीवा में कराई जाने,

(3) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा एवं सिवनी जिले के कई ग्रामों में हिरणों द्वारा फसलों को नष्ट करने एवं किसानों द्वारा हिरणों को मारे जाने,

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर में अन्त्यवसायी सहकारी विकास समिति में हितग्रागियों से रिश्वत लेकर ऋण स्वीकृत किये जाने,

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल नगर निगम द्वारा सार्वजनिक प्याऊ में लगे ट्यूबवेल खराब स्थिति में होने, तथा

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के ग्राम पंचायत बेचाई में सूखे के कारण आदिवासियों को मजदूरी न मिलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री ऊर्जा ने -

(1) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त अवधि हेतु (मूल अंग्रेजी अभिलेख का हिन्दी अनुवाद) ;

(ख) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 ;

(ग) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 ;

(घ) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (22-11-2001 से 31-3-2003) ; तथा

(2) इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा-105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2003-2004) ,

पटल पर रखे।

4. महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के जुलाई-अगस्त 2003 सत्र में पारित मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण विधेयक, 2003 (क्रमांक 31 सन् 2003) को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति 8 जुलाई 2004 को प्राप्त हो गई है।

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री अन्तर सिंह दरबार, सदस्य ने इन्दौर जिले के महू स्थित माल रोड के निवासियों को सेना के जवानों द्वारा बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

6. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) ऊर्जा विभाग की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(1) श्री कमल पटेल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री रामलखन शर्मा
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) श्री सत्यदेव कटारे
(5) श्री दुर्गालाल विजय

सभापति महोदय (श्री इंद्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(6) श्री प्रदीप जायसवाल
(7) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) डॉ. सुनीलम्
(9) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(10) डॉ. गोविन्द सिंह
(11) श्री नारायण त्रिपाठी
(12) श्री आरिफ अकील

सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. समितियों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित समितियों में निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया :-

(1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता
(2) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)
(3) श्री तुकोजीराव पवार
(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(5) श्री रमेश सक्सेना
(6) श्री रविन्द्र सुका महाजन
(7) श्री रसाल सिंह

(8) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(9) श्री रामपाल सिंह
(10) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया
(11) श्री सत्यदेव कटारे

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

(1) श्री कमल पटेल
(2) सुश्री कुसुम सिंह
(3) श्री जुगुल किशोर
(4) श्री धरमू राय
(5) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)
(6) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़
(7) श्री सुखदेव पांसे
(8) श्री सोबरन सिंह (बाबूजी)
(9) श्री हमीद काजी
(10) श्री हिम्मत कोठारी
(11) श्री ज्ञान सिंह

श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

(1) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव
(2) श्री अजय विश्नोई
(3) श्री अमर सिंह कोठार
(4) श्री उम्मेद सिंह बना
(5) श्री गिरिराज मण्डलोई
(6) श्री ध्यानेन्द्र सिंह
(7) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(8) श्री मनोहरलाल हजारीलाल राठौर
(9) श्री लालसिंह आर्य

(10) श्रीमती सुधा जैन

(11) श्री हुकुम सिंह कराड़ा

श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

(1) श्री अहिरवार रामदयाल

(2) डॉ. कमलापत आर्य

(3) श्री किशोरीलाल वर्मा

(4) श्री गिरीश गौतम

(5) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह

(6) श्री जगन्नाथ सिंह

(7) श्री पारस जैन

(8) श्री प्रभुदयाल गेहलोत

(9) श्री प्रेमचंद गुड्डू

(10) श्री प्रेम सिंह पटेल

(11) श्री मनमोहन शाह बट्टी

(12) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल

(13) श्री रामनिवास रावत

(14) श्रीमती रंजना बघेल

(15) श्री शांतिलाल धबाई

श्री अहिरवार रामदयाल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

8. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(2) श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -03	पुलिस के लिए छः सौ छः करोड़, छियानवे लाख , पचासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या -04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए छः करोड़, बारह लाख, उनतालीस हजार रूपये,

अनुदान संख्या -29 विधि और विधायी कार्य के लिए एक सौ सैतालीस करोड़, चौरानवे लाख, तीन हजार रूपये,

अनुदान संख्या -72 भोपाल गौस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए सत्रह करोड़, पांच लाख, तिरासी हजार रुपये,

अनुदान संख्या -85 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस के लिए नौ करोड़, नब्बे लाख, तीन हजार रूपये, तथा

अनुदान संख्या -88 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-न्याय प्रशासन के लिए दो करोड़, अस्सी लाख, तीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 3	1,6,7,8,12,13,14
मांग संख्या - 4	1
मांग संख्या - 29	1,3,5
मांग संख्या - 85	1

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

(2) श्री लाल सिंह आर्य

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) श्री रामनिवास रावत

(5) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

9. वक्तव्य

सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री ने श्री आर.के. जैन, उपायुक्त वाणिज्यिक कर की विभाग की लोकायुक्त पुलिस की अभिरक्षा में हुई मृत्यु के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

10. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(6) श्री जगन्नाथ सिंह
(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(9) श्री अंतर सिंह दरबार
(10) श्री उमाशंकर गुप्ता

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(11) श्री आरिफ अकील
(12) श्री गिरीश गौतम
(13) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(14) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला
(15) श्री शंकरलाल तिवारी
(16) डॉ. सुनीलम्

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए तीन सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए तीन सदस्यों के निर्वाचन के सिलसिले में दाखिल किये गये नाम-निर्देशन पत्रों की वापसी हेतु आज दिनांक 19 जुलाई 2004 को अपराह्न 2.00 बजे तक का समय नियत किया गया था। नियत की गई समय अवधि में किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली गई है। उक्त निर्वाचन लड़ने हेतु निम्नांकित चार उम्मीदवार है :-

(1) श्री भक्तपाल सिंह
(2) श्री मारोतराव खवसे
(3) श्री सोबरन सिंह (बाबूजी)
(4) श्री हरिशंकर खटीक

पूर्व में नियत किये गये कार्यक्रमानुसार इस सिलसिले में आगामी मंगलवार दिनांक 20 जुलाई 2004 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे से विधान सभा भवन, भोपाल स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में मतदान होगा। मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संपन्न होगा।

12. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(3) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सामान्य प्रशासन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -01	सामान्य प्रशासन के लिए चौहत्तर करोड़, तीस लाख, अठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या -02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए बारह करोड़, सत्तावन लाख, छप्पन हजार रूपये,
अनुदान संख्या -19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए चार सौ उन्तीस करोड़, उनहत्तर लाख, अठानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या -61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बीस करोड़, चौबीस लाख, सोलह हजार रुपये,
अनुदान संख्या -79	चिकित्सा शिक्षा के लिए एक सौ पच्चीस करोड़, चौबीस लाख, सोलह हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या -90	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए छः करोड़, सडसठ लाख, अठासी हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 1	3,4,5,7,8,10.11.13
मांग संख्या - 19	1,2,5,6,7,9,10,12,14
मांग संख्या - 61	2
मांग संख्या - 79	1,2,4,5

(चर्चा अपूर्ण)

6.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 29, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.